न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

केस नं. 07/2021

उनवान

1. कजोड पुत्र स्व० चन्दाराम,
2. भीवाराम पुत्र स्व0 चन्दाराम,
3. लालाराम पुत्र स्व० चन्दाराम,
   समस्त जाति रैगर, निवासी केरली की ढाणी, ग्राम दुर्गा का बास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गजानन्द पुत्र स्व0 ठण्डूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. रामेश्वरी देवी पत्नी स्व० गणपत,
3. नन्दू पुत्र स्व० गणपत,
4. श्रीराम पुत्र स्व० गणपत,
5. सुशी देवी पुत्री स्व० गणपत,
6. दामोदर प्रसाद पुत्र स्व० ठण्डूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।
7. भगवान सहाय पुत्र स्व० ठण्डूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. राधेश्याम पुत्र स्व० ठण्डूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. सुन्दरी पत्नी स्व0 ठण्डूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. सीताराम पुत्र स्व० ठण्डूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार लरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत दिलवाये जाने रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:52:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 13.10.2023

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1001/1 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1001/2 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1001/3 रकबा 0.45 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हैं, उपरोक्त खातेदारी की भूमि में ही प्रार्थीगण के मकानात बने हुये हैं तथा करीब 50 वर्षो से निवास करते आ रहे हैं।

प्रार्थीगण के मकानों तक आने जाने का दोनों तरफों से रास्ता जो खसरा नम्बर 999, खसरा नम्बर 1000 तथा खसा नम्बर 1599 तथा खसरा नम्बर 1600 में बने हुये थे जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज हैं जो वर्षो से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं,

में कृषि के उपकरण जैसे ट्रेक्टर ट्रोली, लड्डा, जन्म, मृत्यु, बिमारी, बच्चों के आने स्कूल जाने आदि के उपयोग उपभोग में काम में लिया जाता आ रहा हैं। कुछ वर्षो जमीन के भाव बढ़ जाने से अप्रार्थीगणों के खातेदारी भूमि की कीमत बढ़ने से हमारे आने जाने वाले रास्तों को अवरूद्ध कर दिया गया हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थीगण ना तो कृषि भूमि में उपकरण ला जा सकते हैं और ना ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं, नाही मृत्यु होने पर शव को श्मशान घाट तक ले जा सकते हैं और ना ही बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेजाया जा सकता हैं और अप्रार्थीगण द्वारा चालू रास्ते को बन्द कर दिया गया हैं, जबकि जिन व्यक्तियों के रास्ते प्रार्थीगणों जो कि एस सी एस टी जाति के व्यक्ति हैं गरीब काश्तकार हैं काम में ले हैं, जिनका रास्ता अप्रार्थीगण बन्द नहीं कर सकते

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अनेक मर्तबा रास्ते को बन्द नहीं किये जाने बाबत निवेदन किया, किन्तु दिनांक 28.03.2020 को अप्रार्थीगण ने रास्ता खोलने एवं प्रार्थीगण को रास्ते का उपयोग उपभोग करने देने से साफ इन्कार कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थीगण को अपनी भूमि व मकानात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 999 एवं खसरा नम्बर 1000 तथा खसरा नम्बर 1599 तथा खसरा नम्बर 1600 में राजस्व रिकार्ड में दिखाये गये रास्ते से आगे की ओर प्रार्थीगण के मकानात व भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण से दिलवाया जावें, जिस हेतु प्रार्थीगण डी० एल० सी० रेट अनुसार राशि देने अथवा भूमि के बदले भूमि देने हेतु तैयार हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को वाके ग्राम धिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 999 एवं खसरा नम्बर 1000 तथा खसरा नम्बर 1599 तथा खसरा नम्बर 1600 में राजस्व रिकार्ड में दिखाये गये रास्ते से आगे की ओर प्रार्थीगण के मकानात व भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण से दिलवाया जाने की कृपा करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5, 7 बावजूद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6, 8, 9, 10 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि ग्राम धिनोई, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित होना रिकार्ड का विषय हैं, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण केरली की ढाणी, ग्राम दुर्गा का बास, तहसील आमेर, में पुख्ता मकानात बनाकर अपने पूर्वजों के समय से निवास करते चले आ रहे हैं, प्रश्नगत आराजीयात पर निवास हेतु मकानात भी नहीं बना रखे हैं।

प्रार्थीगण अपनी प्रश्नगत आराजीयात में आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में अंकित टाडावास से दुर्गा का बास जाने वाले आम रास्ते के उत्तरी ओर खसरा नम्बर 1636/2363 सिवाय चक रास्ता एवं [illegible] 1603, 1600 व 1599 में से बने हुए रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण [illegible] रफ्त हैं तथा कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि के लिये उपयोग [illegible] हैं। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु बने रास्ते खसरा नम्बर 1599 व 16[illegible] खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं, जबकि उक्त खसरा नम्बर में से भी रास्ता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया हैं, केवल मिन अप्रा[illegible]गण को हैरान व परेशान करने की नियत से अप्रार्थीगण की ओर से रास्ता चाहा गया हैं, वहां ना तो भूतकाल में, ना ही वर्तमान में रास्ता हैं, ना ही रहा हैं। ना ही अप्रार्थीगण की भूमि से कोई निकटतम रास्ता नहीं लगता हैं।

प्रार्थीगण अपने निवास केरली की ढाणी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील आमेर से अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये टाडावास से दुर्गा का बास जाने वाले आम रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

ओर स्थित सिवाय चक रास्ता खसरा नम्बर 1636/2363 एवं खसरा नम्बर 1601, 1603, 1600 व 1599 में बने रास्ते से आते जाते हैं। ऐसे में रास्ता अवरूद्ध करने ादि का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। मिन अप्रार्थीगण की भूमि से भूतकाल व वर्तमान में ी भी कोई रास्ता मौजूद नहीं रहा हैं, प्रार्थीगण केरली की ढाणी, दुर्गा का बास से ाडावास जाने वाले आम रास्ते के उत्तरी ओर खसरा नम्बर 1636/2363 सिवायचक रास्ता एवं खसरा नम्बर 1601, 1602, 1603, 1600 व 1599 में बने रास्ते का उपयोग उपभोग करते हैं तथा कृषि कार्य व उपकरण भी इसी रास्ते से लाते ले जाते हैं। प्रार्थीगण का कथन बच्चों का स्कूल ना जाने, मृत्यु होने पर शव को श्मशान घाट तक ले जाने, बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल इत्यादि ना ले जाने की कहानी मनगढन्त व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

मिन अप्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थीगण का कभी भी रास्ता मौजूद नहीं रहा हैं, ना ही वर्तमान में हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि काश्त के अलावा रास्ते के रूप में काम में नहीं आयी हैं, ना ही वर्तमान में आती हैं, प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28-03-2020 को रास्ते बाबत कभी निवेदन नहीं किया गया, ना ही मिन अप्रार्थीगण ने कभी किसी प्रकार की कोई धमकी दी हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शे में खसरा नम्बर 1599 व 1600 के राजस्व रिकार्ड में रास्ता दिखाया गया हैं वह मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नहीं हैं, उक्त खसरा नम्बर के खातेदारों को जहां स्थित रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते हैं को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया हैं, जहां प्रार्थीगण की भूमि से सीमा लगती हुई हैं। प्रार्थीगण ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 999 व 1000 में न तो पूर्व में, ना ही वर्तमान में रास्ता मौके पर था, राजस्व रिकार्ड में रास्ता मौजूद रहा हैं को अनावश्यक रूप से हैरान परेशान करने के उद्धेश्य से पक्षकार बनाया हैं, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष दिया जाना न्यायिक रूप से प्रशासनिक रूप से उचित नहीं हैं। वास्तविकता यह हैं कि प्रार्थीगण अपने निवास स्थान केरली की ढाणी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील आमेर, में निवासरत हैं तथा अपनी प्रश्नगत आराजीयात पर आने जाने हेतु टाडावास से दुर्गा का बास जाने वाले रास्ते के उत्तरी ओर स्थिति सिवाय चक रास्ता खसरा नम्बर 1636 / 2363 एवं खसरा नम्बर 1601, 1602, 1603, 1600 व 1599 में से होकर गुजरता हैं से प्रार्थीगण की आमद रफ्त हैं, ऐसी स्थिति में मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से अगर रास्ता कायम किया जाता हैं तो मिन अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा व मिन अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति कतई भी सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण केरली की ढाणी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील आमेर स्थित अपनी पैतृक पुख्ता मकान में निवास करते चले आ रहे हैं, तथा अपनी प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1000/1, 1000/2 व 1000/3 में आने जाने हेतु टाडावास से दुर्गा का बास जाने वाले आम रास्ते के उत्तरी ओर स्थिति आराजी खसरा नम्बर 1636/2363 सिवाय चक रास्ता एवं खसरा नम्बर 1600, 1601, 1602, 1603, 1599 में बने रास्ते से पूर्व से ही आते जाते रहे हैं तथा वर्तमान में भी आ जा रहे हैं। ऐसे में खसरा नम्बर 999 व 1000 में से नवीन रास्ता [illegible]ता भौतिक रूप से न तो तर्क संगत हैं, ना ही न्यायोचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का द्वारा [illegible] प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के विरोधाभाषी हैं, प्रार्थीगण ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 1600 व 1599 की तरफ से भी रास्ता चाहा हैं, क्योंकि प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर में आने जाने हेतु मौके व राजस्व रिकार्ड में रास्ता मौजूद हैं, व उसी रास्ते का आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि खसरा नम्बर 1599 व 1600 में से रास्ता दिया जाना उचित क्यों नहीं हैं। ना ही

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

तक आ रहे रास्ते का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया हैं, बल्कि मिन अप्रार्थीगण को [हैरान] व परेशान करने व क्षति कारित करने के उद्धेश्य से प्रार्थीगण से मिलकर रिपोर्ट [तैय]ार करवाकर प्रस्तुत करवायी हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने व वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पूर्व में आमद रफ्त रास्ते को छोडकर नवीन रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया हैं, जिसे मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम धिनोई के आराजी ख0न0 1001/1 रकबा 0.46 है0 की खातेदारी कजोड पुत्र चन्दाराम जाति रैगर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 1001/2 रकबा 0.46 है0 की खातेदारी लालाराम पुत्र चन्दाराम जाति रैगर के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0न0 1001/3 रकबा 0.45 है0 की खातेदारी भींवाराम पुत्र चन्दाराम जाति रैगर के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 1001/2 में रहने हेतु आवास बनाया हुआ है।

प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 998, 999, 1000 व 1599, 1600 में से प्रार्थीगण के ख0न0 1001/1, 1001/2 एवं 1001/3 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है किन्तु ख0न0 1599 ल. 1600 में प्रार्थी के ख0न0 तक रास्ता दिया जाना उचित नही है। ख0न0 998 रकबा 009 है0 की खातेदारी छोटी देवी पत्नी नानूराम हिस्सा 1/2 प्रभूराम पुत्र मंगला प्रेमदेवी पुत्री मंगला फूली देवी पुत्री मंगला बीजाराम पुत्र मंगला लाडा देवी पुत्री मंगला जाति बागडा ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। ख0न0 999 रकबा 2.64 है0 की खातेदारी सुन्दरी देवी पत्नी ठण्डुराम जाति बागडा ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। ख0न0 1000 रकबा 0.93 है0 की खातेदारी गजानन्द दामोदर प्रसाद भगवान सहाय राधेश्याम सीताराम पि0 ठण्डुराम सुन्दरी पत्नी ठण्डुराम नन्दकिशोर श्रीराम सुशीला देवी पि0 गणपतलाल रामेश्वरी देवी पत्नी गणपत लाल जाति बागडा ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता मौके एवं नक्शे मे नही है। प्रार्थीगण के सबसे निकटतम रास्ता ख0न0 999/2298 रकबा 0.17 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता (सिवाय चक) है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता संलग्न नक्शे अनुसार ख0न0 998 में 40 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 160 वर्ग मीटर ख0न0 999 में 54 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 216 वर्ग मीटर एवं ख0न0 1000 में 40 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 160 वर्ग मीटर ख0न0 1001/1 में 24 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 96 वर्ग मीटर ख0न0 1001/2 में 22 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 88 वर्ग मीटर कुल 720 वर्ग मीटर रास्ते में जाएगी। आवेदक के अन्य कोई रास्ता मौके पर नही लगता है। रास्ते मे जाने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर 2352015 प्रति हैक्टेयर है। तहसीलदार चौमूं द्वारा नियमानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:32:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 नक्शा ट्रेस, प्रार्थी द्वारा ... पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही उपयुक्त होना है ?
2. क्या आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट 16.11.2021 का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कम दुरी का होना पाया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 के संलग्न नक्शे अनुसार ख0न0 998 में 40 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 160 वर्ग मीटर ख0न0 999 में 54 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 216 वर्ग मीटर एवं ख0न0 1000 में 40 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 160 वर्ग मीटर ख0न0 1001/1 में 24 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 96 वर्ग मीटर ख0न0 1001/2 में 22 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 88 वर्ग मीटर कुल 720 वर्ग मीटर भूमि रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 के अनुसार वाके ग्राम घिनोई तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित तहसीलदार चौमूं के संलग्न नक्शे अनुसार प्रदर्शित ख0न0 998 में 40 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 160 वर्ग मीटर ख0न0 999 में 54 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 216 वर्ग मीटर एवं ख0न0 1000 में 40 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 160 वर्ग मीटर ख0न0 1001/1 में 24 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 96 वर्ग मीटर ख0न0 1001/2 में 22 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौडाई कुल 88 वर्ग मीटर कुल 720 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा तहसीलदार चौमूं वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से गणना कर प्रार्थीगणों से प्राप्त कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि की जमा कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:52:04 IST
Reason: SelfAttested

राजेश जाखड
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर